अभियंता प्रमुख का कार्यालय,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।

पत्र संख्या- 908/वि0पथ-03-155/2011-7011 (ई)/पटना, दि0- 30/12/11

प्रेषक,

अभियंता प्रमुख,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।

सेवा में,

सभी कार्यपालक अभियंता,
पथ निर्माण विभाग ।

विषय :- योजना एवं विकास विभाग द्वारा विभिन्न योजनाओं के लिये उपलब्ध करायी गई निधि से निर्मित्त योजनाओं के स्थानान्तरण के संबंध में मार्ग दर्शक नीति निर्देश का निर्धारण के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक उप-निदेशक, योजना एवं विकास विभाग, बिहार पटना के पत्र सं0-3394, दिनांक 10.10.2011 की छायाप्रति अनुलग्नक सहित संलग्न करते हुए कहना है कि योजना एवं विकास विभाग द्वारा विभिन्न योजनाओं के उपलब्ध करायी गयी निधि से निर्मित्त योजनाएं / परिसम्पत्तियों के संबंध में एक विस्तृत प्रतिवेदन विभाग को फैक्स द्वारा शीघ्र भेजा जाय ताकि मार्ग दर्शन नीति निर्देश के प्रारूप पर सुझाव एवं मंतव्य भेजा जा सके ।

अनु0-यथोक्त ।

विश्वासभाजन,

28/12

अभियन्ता प्रमुख,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।

ज्ञापांक- 7011 (ई) पटना, दिनांक 30/12/11

प्रतिलिपि, उपरोक्त अनुलग्नक की छायाप्रति के साथ मुख्य अभि0, उत्तर बिहार उपभाग, पथ निर्माण विभाग / मुख्य अभियंता अभि0 दक्षिण बिहार उपभाग, पथ निर्माण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

अनु0-यथोक्त ।

28/12

अभियंता प्रमुख,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।

29/12

बिहार सरकार
योजना एवं विकास विभाग

पत्रांक: यो03 / मु0मं0जि0वि0यो0–05 / 06–3394 / यो0वि0,पटना,दिनांक 10-10-2011 ~~सितम्बर, 2011~~

अर्जुन प्रसाद,
उप निदेशक।

सेवा में,

प्रधान सचिव / ~~सचिव~~,
पथ निर्माण विभाग / ग्रामीण कार्य विभाग / स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग / मानव संसाधन विभाग / लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग / जल संसाधन विभाग / लघु जल संसाधन विभाग / कृषि विभाग / सहकारिता विभाग / खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग / पशुपालन एवं मत्स्य संसाधन विभाग / उद्योग विभाग / सूचना एवं प्रावैधिकी विभाग / गृह विभाग / पर्यटन विभाग / उर्जा विभाग / कला संस्कृति एवं युवा कार्य विभाग / समाज कल्याण विभाग / ग्रामीण विकास विभाग / नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना ।

विषय: **योजना एवं विकास विभाग द्वारा विभिन्न योजनाओं के लिए उपलब्ध करायी गई निधि से निर्मित योजनाओं के स्थानांतरण हेतु निर्धारित मार्गदर्शन नीति निर्देश के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि योजना एवं विकास विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के लिए उपलब्ध करायी गयी निधि से निर्मित योजनाएं / परिसम्पत्तियों को स्थानांतरित करने हेतु योजना एंव विकास विभाग द्वारा एक मार्गदर्शन नीति निर्देश का प्रारूप तैयार किया गया है जिस पर संबंधित प्रशासी विभागों का मंतव्य अपेक्षित है।

अतः योजना एवं विकास विभाग द्वारा तैयार किए गए मार्गदर्शन नीति निदेश की छायाप्रति संलग्न करते हुए अनुरोध है कि अपने विभागीय मंतव्य तथा सुझाव से एक पक्ष के अंदर योजना एंव विकास विभाग को अवगत कराने की कृपा की जाए ।

विश्वासभाजन,
(अर्जुन प्रसाद) 10/10/2011
उप निदेशक

741/sc
11/10/11

507

12-10-11

13/10/11

2463
14/10/11

बिहार सरकार

योजना एवं विकास विभाग

पत्रांकः— यो0—03 / मु0म0जि0वि0यो0—05 / 06

प्रेषक पटना, दिनांक अगस्त 2011

विजय प्रकाश
प्रधान सचिव

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी।

विषयः **योजना एवं विकास विभाग द्वारा विभिन्न योजनाओं के लिए उपलब्ध करायी गई निधि से निर्मित योजनाओं के स्थानांतरण के संबंध में मार्गदर्शन नीति निर्देश का निर्धारण।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है योजना एवं विकास विभाग के द्वारा संचालित क्षेत्रीय योजनाओं यथा—सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, मुख्यमंत्री जिला विकास कार्यक्रम, आपकी सरकार आपके द्वार, एकीकृत कार्य योजना इत्यादि के माध्यम से विभिन्न योजनाओं का निर्माण किया जा रहा है। सामान्यतः ऐसा देखा गया है कि परिसम्पतियों के निर्माण में एक बड़ी राशि का व्यय किया जाता है। परंतु इन परिसम्पतियों के औपचारिक स्थानांतरण एवं रख—रखाव ठीक ढंग से नहीं किये जाने के कारण इन सम्पतियों का उपयोग सुनिश्चित नहीं हो पाता है।आवश्यकता इस बात की है कि सृजित परिसम्पतियों का लगातार उपयोग, इन योजनाओं के रख—रखाव पर अल्प राशि व्यय कर, सुनिश्चित किया जाय ।

निर्मित परिसम्पत्ति के स्थानांतरण एवं रख—रखाव के संबंध में जिलों से निदेश की अपेक्षा की जाती रही है। इस आलोक में सृजित परिसम्पत्तियों के स्थानांतरण एवं रख—रखाव से संबंधित नीति निर्धारण का मामला सरकार के समक्ष विचाराधीन था। विचारोपरांत के सम्बंध में निम्नलिखित नीति निर्देश निर्धारित किया जाता है:—

1. जिला योजना कार्यालय में एक परिसम्पत्ति पंजी का संधारण किया जाएगा जिसमें निर्मित परिसम्पति के सम्बंध में सूचनाएं दर्ज की जाएगी। योजना पर निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरांत इसे औपचारिक रूप से हस्तांतरित किया जाएगा।

2. सामान्यतः इस विभाग की निधि से पथ निर्माण, पुल—पलिया निर्माण, विद्यालय भवन निर्माण प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र / प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेन्द्र का निर्माण, सामुदायिक भवन निर्माण का कार्य किया जा रहा है। जिस विभाग की परिसम्पति का सृजन किया गया है उससे सम्बंधित जिला स्तरीय पदाधिकारियों को परिसम्पति हस्तांतरित की जाएगी । उदाहरणतः विद्यालय भवनों के लिए मानव संसाधन विकास विभाग, स्वास्थ्य उपकेन्द्रों के लिए स्वास्थ्य विभाग के जिलास्तरीय पदाधिकारियों को हस्तांतरित की जाएगी । इस औपचारिक हस्तांतरण के साथ परिसम्पति का प्राक्कलन एवं नक्सा संबंधित जिला स्तरीय पदाधिकारी को उपलब्ध कराया जाएगा । सम्बंधित जिला स्तरीय विभागीय पदाधिकारी इस परिसम्पति के रख—रखाव हेतु एवं परिसम्पत्ति के संधारण हेतु विभाग से आवश्यक निधि का प्रावधान गैर योजना मद में करने हेतु अनुरोध करेंगे।

3. भवन निर्माण के मामले में यह स्पष्ट हो लेना आवश्यक होगा कि निर्मित भवन किस विभाग का है तथा निर्मित भवन किनको स्थांतरित किया जाएगा। जिस विभाग के भवनों का रख—रखाव भवन प्रमंडल द्वारा किया जाता है, उस प्रकृति के भवनों को भवन निर्माण विभाग को एवं अन्य भवनों को उनके विभागीय पदाधिकारियों को स्थानांतरित करने की कार्रवाई की जाएगी। उदाहरण के लिए स्वास्थ्य, पशुपालन से संबंधित चिकित्सालयों के रख—रखाव का कार्य भवन निर्माण का कार्य भवन निर्माण विभाग द्वारा किया जाता है। अतः इन भवनों का स्थानांतरण भवन निर्माण विभाग को किया जाना अपेक्षित होगा। साथ ही इसकी सूचना स्वास्थ्य, पशुपालन विभाग को दी जाएगी ।

मनोज 54

4. पंचायती राज प्रणाली के लागू होने के फलस्वरूप कतिपय विभागों की योजनाओं का स्थानांतरण स्थानीय निकायों यथा– नगर निकायों एवं ग्राम पंचायतों को कर दी गई है। अब इन योजनाओं के अंतर्गत सृजित परिसम्पतियों का रख–रखाव स्थानीय निकायों द्वारा किया जाता है। योजना एवं विकास विभाग के निधि से सृजित परिसम्पतियों के स्थानांतरण के संबंध में सदृश्य प्रकृति के योजनाओं को स्थानीय निकायों/पंचायती राज संस्थाओं को किया जाए। इस संदर्भ में पंचायती राज विभाग एवं नगर विकास विभाग द्वारा क्रमशः पंचायती राज संस्थानों एवं नगर निकायों के विभिन्न स्तर पर योजनाओं के पर्यवेक्षण, नियंत्रण एवं रख–रखाव के सम्बंध में निर्गत मार्ग दर्शन निदेश का ध्यान रखा जाए।

5. कतिपय योजनाओं यथा भंडारण हेतु गोदाम निर्माण, शहरी क्षेत्र में दुकान का निर्माण को निगम/बोर्ड अथवा नगर निकाय को स्थानांतरित करने की आवश्यकता होगी। इन परिसम्पतियों के लिए सम्बंधित बोर्ड एवं निगमों जिनकी प्रकृति वाणिज्यिक किस्म की है, उनसे मासिक किराया की वसूली भी की जायेगी। मासिक किराया का निर्धारण जिला स्तर पर सक्षम पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा। मासिक किराया वसूली के उपरांत जिला योजना कार्यालय द्वारा कोषागार में जमा करने की कार्रवाई की जायेगी। जिन मामलों में किराया वसूली की छूट राज्य सरकार द्वारा दी गयी है, वैसे मामलों में किराया की वसूली नहीं की जायेगी।

6. पथ निर्माण की योजनाओं में यह ध्यान रखे जाने की आवश्यकता होगी कि निर्मित पथों का स्थानांतरण उनके निर्धारित स्वामित्व के अनुसार किया जाए। शहरी प्रक्षेत्र में जिन विभाग का पथ है उन्हें स्थानांतरित किया जाए तथा अवशेष निर्मित पथों/गलियों को नगर निकाय को स्थानांतरित करने की कार्रवाई की जाए। इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्र में पथ निर्माण विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग, जिला परिषद को उनके स्वामित्व के निर्मित्त पथों को स्थानांतरित किया जाय। गाँवों के गली एवं नालियों, सामुदायिक भवनों, पंचायत भवनों एवं इस स्तर के अन्य छोटी–छोटी योजनाओं को ग्राम पंचायत को स्थानांतरित किया जाय।

7. सभी सम्बंधित जिला स्तरीय विभाग, नगर निकाय एवं पंचायती राज संस्थान अपने स्तर पर भी जिला स्तरीय निधि से निर्मित योजनाओं से सम्बंधित रजिस्टर का संधारण करेगे जिससे उन्हें इन परिसम्पतियों के रख–रखाव में मदद मिलेगी एवं साथ ही यह बात भी सुनिश्चित हो सकेगी कि एक योजना पर विभिन्न स्त्रोत की निधियों से कार्य न हो एवं एक ही योजना पर एक निर्धारित सीमा के अंदर व्यय के डुप्लिकेशन से बचा जा सके।

अनुरोध है कि उपर्युक्त निदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु सभी सम्बंधित पदाधिकारी को अपने स्तर से निदेश देने की कृपा की जाए।

विश्वासभाजन

(विजय प्रकाश)
प्रधान सचिव

ज्ञापांकः यो0–03/मु0मं0जि0वि0यो0–05/06 पटना, दिनांक अगस्त 2011
प्रतिलिपिः– सभी प्रमंडलीय आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

प्रधान सचिव

मनोज 55